भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या †2987
दिनांक 18.03.2025 को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की उपलब्धियां

†2987. श्री सुधाकर सिंह:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के कार्यान्वयन के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के कार्यकरण को सशक्त करने के संबंध में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आरजीएसए के बावजूद, कई पंचायतें अभी भी अपर्याप्त निधि और बुनियादी उपकरणों जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्टिविटी और कार्यालय बुनियादी ढांचे की कमी से जूझ रही हैं;

(ग) पंचायतों के कार्यकरण और सेवा प्रदाय में सुधार लाने के लिए आरजीएसए के अंतर्गत पंचायतों को समय पर और पर्याप्त धनराशि आवंटित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे विशिष्ट कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के समक्ष आने वाली जमीनी चुनौतियों के समाधान में योजना की प्रभावशीलता की निगरानी और आकलन करने के लिए किसी उपाय की योजना बनाई है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रो.एस.पी.सिंह बघेल)

(क) मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना को लागू कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर), पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करके पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को सक्षम बनाना है ताकि वे नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए अपनी शासन क्षमताओं को बढ़ा सकें और पंचायतों को प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बना सकें। आरजीएसए के तहत प्रशिक्षण के अलावा, मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए संस्थागत प्रणाली तैयार करने और मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी, पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों के लिए सीमित पैमाने पर ग्राम पंचायत भवन, कंप्यूटर और ग्राम पंचायत भवन में सार्वजनिक सेवा केंद्र (सीएससी) का सह-स्थापन जैसे पंचायत अवसंरचना के निर्माण करने के लिए सहायता भी प्रदान करता है।

आरजीएसए योजना के तहत, वर्ष 2022-23 से, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लगभग 11,481,786 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 11,693 पंचायत भवनों

का निर्माण, 46,860 कंप्यूटर और ग्राम पंचायत भवनों में 15,887 सार्वजनिक सेवा केंद्रों (सीएससी) के सह-स्थापन को स्वीकृति दी गई है जिसमें पिछली योजना के निर्माण भी शामिल हैं।

(ख) स्थानीय सरकार होने के कारण 'पंचायत' राज्य का विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का भाग है। इसलिए, अवसंरचनात्मक सुविधाएं जैसे कि ग्राम पंचायत भवन, कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्टिविटी आदि उपलब्ध कराना प्राथमिक रूप से राज्य का दायित्व है। हालांकि, मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनी वार्षिक कार्य योजना में प्रस्तावित और सीमित पैमाने पर केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित पंचायत भवन और कंप्यूटर का निर्माण करके ग्राम पंचायतों के कामकाज में सहायता करने के लिए आरजीएसए योजना के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को पूरा करता है।

(ग) और (घ) इस योजना के तहत धनराशि जारी करना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जैसे नियमित रूप से पंचायत चुनावों का आयोजन, वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करना, निधि जारी करने का औपचारिक अनुरोध, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास उपलब्ध अप्रयुक्त शेष राशि, उपयोगिता प्रमाण पत्र और लेखापरीक्षक रिपोर्ट प्रस्तुत करना आदि। मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षत्रों को धनराशि जारी करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी देने हेतु केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक का समय पर आयोजन सुनिश्चित करता है।

राज्यों को जारी की गई निधि के उपयोग सहित योजना के कार्यान्वयन का बैठकों, राज्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा क्षेत्र दौरे/ फील्ड विजिट जैसे विभिन्न प्रणालियों के माध्यम से बारीकी से निगरानी की जाती है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति, राज्य की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी देते समय, योजना के कार्यान्वयन और निधि के उपयोग की प्रगति पर विचार करती है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी करने को विनियमित करने के लिए वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में उपयोगिता प्रमाण पत्र और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट सहित अपेक्षित दस्तावेज जमा करने के लिए लगातार स्मरण दिलाया जाता है।

पंचायती राज मंत्रालय ने ई-ग्रामस्वराज नामक ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू की है, जिसका उद्देश्य पंचायत के कार्यों जैसे कि आयोजना, लेखांकन और बजटन को सुव्यवस्थित करना है। इसके अतिरिक्त, आरजीएसए के लिए एक ऑनलाइन निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली (प्रबंधन सूचना प्रणाली) तैयार की गई है। वित्तीय पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए, ई-ग्रामस्वराज को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे ग्राम पंचायतें विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय पर भुगतान करने में सक्षम होंगी।

****